Mail

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

सं0 सं0 – 03/भू0अ0नि0 (6) विशेष सर्वे– 13/2024 3739

प्रेषक,

सहायक निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप।

सेवा में,

सभी बन्दोबस्त पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक :27/10/2026

विषय :– बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यक्रम अन्तर्गत प्राप्त होनेवाली तकनीकी समस्या एवं उनके समाधान संबंधी FAQ के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक–24.09.2026 को राज्य स्तरीय समीक्षात्मक बैठक में भू–सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर एवं मानचित्र निर्माण पर उत्पन्न तकनीकी समस्याओं के समाधान हेतु आई0टी0 सेल तथा हवाई सर्वेक्षण एजेंसी को FAQ तैयार किये जाने हेतु उच्चस्तरीय निदेश दिया गया है।

उक्त के अनुपालन में संबंधित द्वारा FAQ तैयार कर निदेशालय को उपलब्ध करायी गयी है, जो इस पत्र के साथ संलग्न है।

अतः अनुरोध है कि सर्वेक्षण कार्यों की सुगमता हेतु सभी संबंधित को संलग्न FAQ की प्रति उपलब्ध कराने की कृपा की जाए।

अनुलग्नकः– यथोक्त।

विश्वासभाजन
27-10-26
सहायक निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :03/भू0अ0नि0 (4) वि0 सर्वे–10/2022 (खण्ड) 3739 **पटना, दिनांक**:27/10/2026

प्रतिलिपिः

1. सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/समाहर्त्ता, बिहार को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. सभी बन्दोबस्त पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी, बन्दोबस्त/सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0), बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
3. अवर सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी/सभी नोडल पदाधिकारी/श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
4. सभी हवाई सर्वेक्षण एजेंसी/श्री प्रिन्स कुमार/श्री कुणाल किशोर, प्रोग्रामर, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
5. निदेशक कोषांग, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
6. माननीय मंत्री/सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

27-10-26
सहायक निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

FAQ (Survey Related Software)

Till Date:21/10/2026

नोडल अधिकारी को सूचित किए बिना सामने आने वाली समस्याएँ

प्रश्न 1: जिले से प्राप्त तकनीकी समस्याओं का सही तरीके से पत्र एवम निदेशालय जिला नोडल पदाधिकारी को सूचना द्वारा नहीं भेजना !

जिलों द्वारा तकनीकी समस्याएँ विभिन्न स्तरों से अलग-अलग WhatsApp Message के माधयम से भेजी जाती हैं, अलग-अलग समय पर अलग-अलग लोगो से भेजे जाने के कारण समस्याओं का जिलावार संकलन एवं व्यवस्थित मॉनिटरिंग नहीं हो पाती है, एवं समाधान में बहुत समय लग जाता हैं।

समाधान

किसी एक पदाधिकारी के पत्र के माधयम से जिलावार समस्याओ की एक सूची निदेशालय जिला नोडल पदाधिकारी के माध्यम से आनी चाहिए, जिसमे सम्बंधित शिविर प्रभारी एवं अमिन का नाम और मोबाइल न0.होना चाहिए।

प्रश्न 2: IT Cell द्वारा जारी PPT, PDF एवं Guidelines फील्ड स्तर तक नहीं पहुँच पाते हैं !

IT Cell द्वारा जारी PPT, PDF एवं आवश्यक Guidelines संबंधित फील्ड कर्मियों, विशेषकर अमीन तक समय पर नहीं पहुँच पाती हैं। इसके कारण कर्मियों को आवश्यक नई तकनीकी जानकारी एवं कार्य प्रक्रिया को समझने में कठिनाई होती है। समय के साथ बहुत सारे नए Tool प्रक्रिया को और बेहतर बनाने हेतु बनाए गए हैं | लेकिन बातचीत के दौरान पता चलता है कि अमीन को या शिवीर प्रभारी को इसकी जानकारी नहीं होती है | निदेशालय नोडल पदाधिकारी से लेकर जिला शिवीर प्रभारी फील्ड में अमीन को इस से अवगत कराएं |

समाधान

तुरंत ही जिला द्वारा हर प्रकार के सूचना को जिला के सभी WhatsApp ग्रुप में साझा किया जाये एवं शिविर प्रभारी द्वारा संबंधित अंचल के अमिन को भी जानकारी दी जाए | जिला स्तर के सभी मीटिंग में भी इसकी मौखिक जानकारी दी जाए |

प्रश्न 3: ऐसी तकनीकी समस्याएँ, जो वास्तव में मौजूद नहीं हैं या जिसका समाधान Employee के स्तर से ही हो सकता है |

कई बार बिना उचित जाँच किए ऐसी समस्याओं को तकनीकी समस्या के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जो वास्तव में मौजूद नहीं होती हैं। इससे अनावश्यक शिकायतें बढ़ती हैं, तकनीकी टीम का समय व्यर्थ होता है तथा संबंधित कार्य-प्रक्रिया में विलंब होता है। जैसे - लॉगिन नहीं हो रहा है , रिपोर्ट Open नहीं हो रहा है |

<u>समाधान:</u>

किसी भी तकनीकी समस्या को भेजने से पहले जिला स्तर पर उसकी जाँच एवं सत्यापन किया जाना चाहिए। वास्तविक समस्या होने पर ही उसका स्पष्ट विवरण तकनीकी टीम को भेजा जाए।

प्रश्न 4: **P18 से P25 तक की प्रक्रिया में तकनीकी रूप से सक्षम DEO की आवश्यकता क्यों है?**

कई जिलों में DEO की तकनीकी दक्षता पर्याप्त नहीं होने के कारण बार-बार समझाने के बावजूद Prapatra-18 से Prapatra-25 तक की प्रक्रिया पूरी करने में कठिनाई होती है, जिससे कार्य में अत्यधिक विलंब होता है। क्योंकि कई बार उन्हें प्रशिक्षण दिया जा चूका है |उनके द्वारा सही बात की जानकारी भी District Settelment Officer को नहीं दी जाती है|

समाधान: तकनीकी रूप से दक्ष DEO /कर्मियों की तैनाती सुनिश्चित की जाए। क्योंकि प्रपत्र-18 से प्रपत्र-25 में Digital Sign ,PDF Compress ,PDF Splitt एवम सही से ROR का Uploading किया जाता है |

प्रश्न 5: **खेसरा पंजी की प्रविष्टि Web-Based Software के माध्यम से Laptop के माध्यम से करना क्यों आवश्यक है ?**

खेसरा पंजी की प्रविष्टियाँ नए खतियान एवं ROR (Record of Rights) तैयार करने का आधार हैं। इसे प्रविष्टियों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए Web-Based बनाया गया है, लेकिन कई अमीन, ASO एवं कानूनगो मोबाइल के माध्यम से कार्य कर रहे हैं, Mobile का स्क्रीन छोटा होने से गलत प्रविष्टियों की संभावना बढ़ती है और आगे की प्रक्रिया बाधित होती है।

समाधान: खेसरा पंजी की प्रविष्टि निर्धारित Web-Based Software के माध्यम से laptop से ही की जाए, ताकि डेटा की शुद्धता बनी रहे तथा कार्य में अनावश्यक विलंब न हो।

प्रश्न 6: बिना निर्धारित प्रक्रिया एवं तिथि की जाँच किए मौजा नहीं दिखने की समस्या क्या है?

भू-अभिलेख सॉफ्टवेयर मे विभिन्न चरणों पर मौजा दिखने के लिए संबंधित प्रक्रिया पूर्व की प्रक्रिया की तिथी का दर्ज होना आवश्यक है। उदाहरण के लिए, LPM की तिथि दर्ज करने के बाद मौजा Prapatra-8 में दिखता है, P12 की तिथि दर्ज करने के बाद मौजा Prapatra-14 में दिखता है तथा Prapatra-20 की तिथि दर्ज करने के बाद Prapatra-21 में दिखाई देता है। कई बार इन आवश्यक चरणों एवं तिथियों की जाँच किए बिना ही मौजा नहीं दिखने की समस्या बताई जाती है, जबकि संबंधित प्रक्रिया पूरी नहीं हुई होती है, एवं कई दिनों तक संबंधित Mauja में कार्य अवरुद्ध रखा जाता है, इससे अनावश्यक शिकायतें आती हैं और तकनीकी टीम का समय व्यर्थ होता है।

समाधान:

तकनीकी समस्या दर्ज करने से पहले संबंधित चरण की स्थिति एवं आवश्यक तिथि की जाँच की जानी चाहिए। जिला में ASO HQ Letter भेजने से पूर्व इसकी जांच कर लें।सभी निर्धारित प्रक्रियाएँ पूरी होने के बाद भी मौजा नहीं दिखने पर ही समस्या तकनीकी टीम को भेजी जाए।

किश्तवार एवं खानापूरी चरण में मानचित्र निर्माण की समस्याएँ

Issues Faced in Map Preparation During Kistwar & Khanapuri Stage

भाग 1:- किश्तवार मानचित्र चरण (Kistwar Map Stage)

किश्तवार (फील्ड सर्वे/मानचित्रण) चरण के दौरान मानचित्र तैयार करते समय निम्नलिखित प्रमुख समस्याएँ सामने आती हैं —

क्र.	समस्या	विवरण	प्रभाव	समाधान
1	**आबादी पैच का सही ढंग से चिन्हांकन न होना**	मानचित्र में आबादी क्षेत्र (Abadi Patch) का पृथक व स्पष्ट पैच सही तरीके से मार्क नहीं किया जाता।	आबादी भूमि व कृषि भूमि के बीच स्पष्ट विभाजन न होने से मानचित्र में त्रुटि रहती है और आगे की प्रक्रिया (खानापूरी/अद्यतन-नीकरण) में समस्या आती है। दूर पड़े, दो तीन घरों को आबादी क्षेत्र में मार्किंग करने के लिए बिना वजह काफी बड़े कृषि भूमि क्षेत्र को भी आबादी क्षेत्र में मार्क कर दिया जाता है, जिससे एक आबादी क्षेत्र (Abadi Patch) को दो या दो से अधिक सीटों में दर्शाना पड़ता है।	1) फील्ड सर्वे के दौरान आबादी क्षेत्र की सीमा को अलग रंग/हैचिंग से तुरंत चिन्हित करें। (2) पुराने खतियान/मानचित्र से आबादी पैच का मिलान करके ही अंतिम रूप दें। (3) आबादी पैच बनाने के बाद स्थानीय ग्रामसभा/कानूनगो से स्थलीय सत्यापन करवाएं। (4) मानचित्र चेकलिस्ट में 'आबादी पैच अंकित' को अनिवार्य कॉलम के रूप में शामिल करें। (5) बड़े, बड़े आबादी क्षेत्र बनाने के बजाय उसे छोटे छोटे आबादी एरिया में क, ख ,ग और घ आदि रूपों में दर्शाये ताकि एक आबादी के लिए एक सीट रहने से आबादी शीट बनाने में सहूलियत होगी।
2	**सीमांकन में सटे हुए मौजों की सीमा न जोड़ना**	सीमा अंकन (Boundary Marking) करते समय सर्वेक्षक केवल अपने मौजे की सीमा खींचते हैं, किंतु सटे हुए (adjoining) मौजे की सीमा को साथ में मिलाकर चिन्हित नहीं करते।	इसके परिणामस्वरूप दो मौजों की सीमाओं के बीच गैप (Gap) अथवा ओवरलैप (Overlap) उत्पन्न होता है, जिससे अंतिम मानचित्र बनाने में गंभीर बाधा आती है।	(1) **सीमांकन** का कार्य दोनों सटे मौजों के **संयुक्त सीमा सर्वेक्षण** (Joint Border Survey) संयुक्त सर्वेक्षकों की उपस्थिति में दोनों मौजों के सीमा-रेखा को तत्काल आपस में मिलान करके ही मानचित्र में एक साथ अंकित करें। (2) मोज़ेकिंग/एजिंग (Edge-matching) के समय GIS सॉफ्टवेयर में Gap / Overlapजांच अनिवार्य रूप से करके पाई गई विसंगति को उसी चरण मे सुधार करके ही आगे बढ़े, अगले चरण में न ले जाएं। (3) यह प्रक्रिया प्रत्येक स्टेज में सुनिश्चित किया जाए।

भाग 2 : खानापूरी चरण (Khanapuri Stage)

खानापूरी चरण में पर्चा/खेसरा भरते समय निम्नलिखित समस्याएँ पाई जाती हैं –

क्र.	समस्या	विवरण	प्रभाव	समाधान
1	डुप्लीकेट नंबर (एक ही नंबर की पुनरावृत्ति)	पर्चा/खेसरा में एक ही नंबर एक से अधिक बार बार-बार दोहराया जाता है (Repeat Number)।	एक ही खेसरा नंबर की पुनरावृत्ति से रिकॉर्ड में भ्रम और विवाद की स्थिति बनती है तथा मिलान करना कठिन हो जाता है।	1) खानापूरी पूर्ण होते ही खेसरा नंबरों की सूची तैयार कर सॉफ्टवेयर/एक्सेल में डुप्लीकेट-चेक (Duplicate check) चलाएं। (2) डुप्लीकेट मिलने पर मूल फील्ड बुक से मिलान कर सही नंबर तय करें। (3) प्रत्येक मौजे में नंबरिंग सुपरवाइजर की जिम्मेदारी तय करे ताकि नंबर आवंटन के समय ही दोहराव न हो।
2	एक से अधिक नंबर का पाया जाना (Presence of More than one number)	एक ही पर्चा/खेसरा प्लॉट (Parcel/Plot) में एक से अधिक नंबर पाया जाता है	एक ही पर्चा/खेसरा प्लॉट (Parcel/Plot) में एक से अधिक नंबर से रिकॉर्ड में भ्रम और विवाद की स्थिति बनने के साथ साथ मिलान करना भी कठिन हो जाता है और सीरियल नंबर गड़बड़ हो जाता है	१- प्लॉटों (खेसरों) में नंबर डालते वक्त ये ध्यान देने की जरूरत है की यदि दो या तीन खसरों (प्लॉट्स) के बिच की रेखा पर फाल्स मार्क कर दी गयी है तो फाल्स मार्क वाली रेखा डिलीट करते ही उक्त सभी खसरा मिलकर एक खसरा बन जायेगा, जिसमें एक ही नंबर होगा। यदि वास्तव में दो प्लाट ही रहेंगे तो दो प्लॉटों (खेसरों) के बिच मार्क किये गए फाल्स मार्क को डिलीट करना होगा।
3	खाली प्लॉट / पार्सल (ब्लैंक प्लॉट/ पार्सल)	बहुत सारे प्लॉट/पर्चा खाली (Blank Plot) रह जाते हैं, जिनमें कोई विवरण भरा नहीं होता।	आवश्यक जानकारी दर्ज न होने से रिकॉर्ड अधूरा रह जाता है और आगे सत्यापन में परेशानी होती है, साथ ही साथ जिससे उदान- कुदान की समस्या आती हैं	(1) प्रत्येक प्लॉट के लिए 'विवरण भरा/नहीं भरा' का दैनिक प्रगति प्रतिवेदन (डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट) तैयार करें। (2) खाली पर्चों की सूची निकालकर संबंधित अमीन/कर्मचारी को पुनः फील्ड भेजकर विवरण पूर्ण कराएं। (3) खानापूरी पूर्ण होने का प्रमाण-पत्र देने से पहले शत-प्रतिशत प्लॉट / पार्सल भरे होने की जांच अनिवार्य करें, जिससे उदान- कुदान की समस्या सामना न करना पड़े.
4	मिसिंग नंबर (नंबर छूट जाना)	बहुत से प्लॉटों में खेसरा नंबर छोड़ दिया जाता है अर्थात नंबर मिसिंग रह जाता है।	क्रमबद्धता टूटने से मानचित्र व रिकॉर्ड के बीच तालमेल बिगड़ता है और सत्यापन में अतिरिक्त समय लगता है।	1) खेसरा नंबरों की क्रम-सूची (सीक्वेंस लिस्ट) बनाकर 1 से अंतिम नंबर तक की सतत जांच (गैप-चेक) करें। 2) जो नंबर छूटा हो उसे फील्ड बुक व मानचित्र से मिलाकर तुरंत जोड़ें। 3) मानचित्र और खेसरा रजिस्टर की नंबरिंग का साप्ताहिक क्रॉस-वेरिफिकेशन अनिवार्य करें।

क्र.	समस्या	विवरण	प्रभाव	समाधान
5	ओवर-लेखन(Over-writing)	एक प्लाट में एक ही जगह पर बार-बार नंबर लिखकर/ काटकर पुनः लिखकर / काटकर बदलना	एक ही प्लाट में एक ही जगह पर बार-बार नंबर लिखकर / काटकर पुनः लिखकर / काटकर बदलना (Change) और पुनःलिखने से नंबर अपठनीय हो जाता हैं.	एक ही प्लाट में एक ही जगह पर बार-बार नंबर लिखकर / काटकर पुनः लिखकर / काटकर बदलना (Change) और पुनःलिखने से नंबर अपठनीय हो जाने की स्थिति में व्हाइटनर (Whitener) का प्रयोग करके लिखे या पेपर पर लिखकर उस जगह पर चिपकाये।
6	ब्लैंक पार्सल में फॉल्स लाइन (सीमा-रेखा) का न होना।	खाली पर्चे वाले प्लॉट में फॉल्स लाइन (सीमांकन रेखा) सही ढंग से नहीं खींची गई होती है।	सीमा-रेखा स्पष्ट न होने से प्लॉट की वास्तविक सीमा तय करना कठिन हो जाता है, जिससे मानचित्र में त्रुटि बनी रहती है।	1) प्रत्येक प्लॉट की फॉल्स लाइन खींचना खानापूरी की अनिवार्य शर्त बनाए, बिना लाइन के पर्चा 'अपूर्ण' माना जाए। 2)- जिन प्लॉटों में लाइन छूटी हो उनकी अलग सूची बनाकर फील्ड में जाकर सुधार कराएं। 3) अंतिम मानचित्र स्वीकृति से पहले सभी फॉल्स लाइनों का दृश्य सत्यापन (विजुअल चेक) करें।
7	दिशा निर्देशों के अनुसार मानचित्र मैप नहीं बनाना(Map cutting not as per guidelines).	अमीन बिना सही पार्सल कटिंग/डाइमेंशन के मैप जमा कर रहे हैं। इसके बजाय, वे रकबा चार्ट/एरिया चार्ट के साथ मैप जमा कर रहे हैं और GIS टीम से एरिया चार्ट के आधार पर कटिंग/सुधार करने के लिए कह रहे हैं। मानचित्र पर किए गए प्रत्येक सुधार को अमीन द्वारा उपलब्ध कराए गए क्षेत्रफल चार्ट के स्थान पर संबंधित हार्डकॉपी में स्पष्ट रूप से अंकित एवं प्रदर्शित नहीं किया जा रहा है ।	खसरा नंबर के साथ सिर्फ़ एरिया दिया जाता है, जबकि (Dimensions) मार्क नहीं होता हैं, जिससे की प्लाट के किस दिशा में कितना लम्बाई और चौड़ाई (Direction of the plot) में क्षेत्रफल घटेगा या बढ़ेगा, ये पता नहीं चल पता है , जिससे बिना वजह कन्फ्यूजन पैदा होता है और रकबा मिलान करना टाइम टेकिंग हो जाता है।	1)- अमीन को एजेंसी को मानचित्र प्रस्तुत करने से पहले गुनिया/स्केल की सहायता से हार्डकॉपी मानचित्रों पर पार्सलों की आवश्यक आयाम के अनुसार उचित कटिंग/मार्किंग करनी चाहिए। 2) मानचित्र पर किए गए प्रत्येक सुधार को अमीन द्वारा उपलब्ध कराए गए क्षेत्रफल चार्ट के स्थान पर संबंधित हार्डकॉपी में स्पष्ट रूप से अंकित एवं प्रदर्शित करना चाहिए
8	P6 अभिलेखों में भूमि/पार्सल के प्रकार की सही प्रविष्टि दर्ज की जानी चाहिए .	P6 अभिलेखों में संबंधित अमीन द्वारा प्रत्येक पार्सल के भूमि/पार्सल प्रकार की सही प्रविष्टि दर्ज की जानी चाहिए, जैसे सड़क, रेलवे, नहर, तटबंध, तालाब, विद्यालय, सरकारी भूमि या अन्य कोई श्रेणी। प्रस्तुत करने से पहले पार्सल के प्रकार का सावधानीपूर्वक सत्यापन किया जाना आवश्यक है।	P6 अभिलेखों में संबंधित अमीन द्वारा प्रत्येक पार्सल के भूमि/पार्सल प्रकार की सही प्रविष्टि की जानी चाहिए, जैसे सड़क, रेलवे, नहर, तटबंध, तालाब, विद्यालय, सरकारी भूमि या अन्य कोई लागू श्रेणी। प्रस्तुत करने से पहले पार्सल के प्रकार का सावधानीपूर्वक सत्यापन किया जाना आवश्यक है। यदि P6 अभिलेखों में सही भूमि/पार्सल प्रकार दर्ज नहीं किया जाता है, तो अंतिम मानचित्र (Final Map) के एट्रिब्यूट्स और संबंधित ROR में आपसी मिलान नहीं हो पाएगा, जिसके परिणामस्वरूप तिम अभिलेखों में विसंगतियाँ उत्पन्न हो सकती हैं।	P6 अभिलेखों में संबंधित अमीन द्वारा प्रत्येक पार्सल के भूमि/पार्सल प्रकार की सही प्रविष्टि की जानी चाहिए.

क्र.	समस्या	विवरण	प्रभाव	समाधान
9	एक से अधिक गाँवों में फैले हुए पार्सल/विशेषताओं के विस्तार के लिए	अलग-अलग गाँवों के अमीन एक ही लगातार चलने वाली चीज़ (such as roads, railways, canal, river and other continuous features) के लिए अलग-अलग चौड़ाई का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे गाँवों की सीमाओं पर बेमेल और निरंतरता में कमी जैसी समस्याएँ आ रही हैं।	संबंधित गाँवों में एक ही सतत/निरंतर संरचना अथवा फीचर के लिए अलग-अलग चौड़ाई अपनाई जा रही है, जिसके कारण गाँव की सीमाओं पर चौड़ाई में बेमेलता तथा संरचना की निरंतरता में व्यवधान (Discontinuity) उत्पन्न हो रहा है।	ऐसी निरंतर चलने वाली विशेषताओं (Continuous Features) की चौड़ाई एवं अलाइनमेंट की जाँच की जानी चाहिए तथा आस-पास के संबंधित गाँवों के नक्शों में उनकी चौड़ाई और अलाइनमेंट में एकरूपता एवं निरंतरता सुनिश्चित की जानी चाहिए।